



2026:AHC:22133

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 1188 वर्ष 2026

पुष्पेंद्र कुमार शर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण) बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: श्याम सुंदर

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम सुंदर और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने न्यायालय में कथन किया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हैं और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं तथा वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से याचिका का निर्णय नवीन स्तर पर किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब याचिकाकर्ता चपरासी के पद पर तैनात था, तब उसे 29.11.2025 को निलंबित कर दिया गया था।
4. निलंबन पर प्रश्न उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि विवादित निलंबन आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता, विशेष रूप से तब जब निलंबन आदेश में किसी विभागीय जांच के लंबित होने या विचार किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। वे इस संबंध में इस न्यायालय के रिट ए संख्या 56853 वर्ष 2009 (मीना तिवारी बनाम भारत संघ) निर्णित दिनांक 22.10.2013 और रिट ए संख्या 18148 वर्ष 2012 (पूरन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) निर्णित दिनांक 11.04.2012 के निर्णयों का हवाला देते हैं।
6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, हालांकि वे यह इंगित नहीं कर सके कि इस बात से इनकार किया जा सकता है कि विवादित निलंबन आदेश में किसी भी प्रकार की जांच का उल्लेख है या जांच की परिकल्पना या लंबित होने की बात कही गई है, हालांकि, उनके अनुसार 30.01.2026 को विभागीय जांच कराने का आदेश पारित किया गया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. मैंने पीठ पर किए गए इस प्रकार के निवेदन को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमावली का नियम 4 निलंबन का प्रावधान करता है, जिसके अनुसार निलंबन केवल तभी किया जा सकता है जब दोषी के विरुद्ध कोई जांच विचाराधीन हो या लंबित हो। यहां न्यायालय पाता है कि चुनौती दिए गए आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई जांच लंबित है या विचाराधीन है। मीना तिवारी (उपरोक्त) और पूरन सिंह (उपरोक्त) मामलों में न्यायालय के मत के अनुसार, विचाराधीन या लंबित जांच की आवश्यक है और चूंकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता के अनुसार नए आदेश पारित किए जाएंगे, इसलिए चुनौती दिए गए आदेश को मान्य नहीं रखा जा सकता।

9. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है-

(क) तीसरे प्रत्यर्थी, उपायुक्त, प्रशासन, राज्य कर, आगरा द्वारा दिनांक 29.11.2025 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है;

(ख) प्रत्यर्थी को विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने की छूट दी जाती है।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

11. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख पर लिए जाते हैं और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किए जाते हैं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

2 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"